रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2786] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937
No. 2786] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसंबर, 2015

का.आ. 3507(अ).—यत:, मै. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कापोरेशन लि. ने आंध्र प्रदेश राज्य के हिल नं-3, माधुरवाडा ग्राम, जिला विशाखापटनम, में सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2160(अ) दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 36.0 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मैं. आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कापोरेशन लि. ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 6.37 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत;, आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके दिनांक 13 जुलाई, 2015 के पत्र सं. 416/आई.टी.ई.एंड.सी/ आई.टी.प्रोम/15 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत;, विकास आयुक्त विशाखापटनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 6.37 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अत: अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से सर्वेक्षण संख्या 410 के 6.37 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र 29.63 हेक्टेयर हो जाएगा.

[फा. सं. एफ. 2/61/2006-सईजेड]

डॉ. गुरूप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2015

S.O. 3507(E).—Whereas, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES at Hill No. 3, Madhurwada Village, Distt.- Visakhapatnam in the State of Andhra Pradesh;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 36 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 2160(E) dated 28th December, 2006;

And, whereas, M/s. Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation Limited has now proposed for de-notification of 6.37 hectares at the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Andhra Pradesh has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. 416/ITE&C/IT Prom/2015, dated 13th July, 2015;

And, whereas, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 6.37 hectares of the Special Economic Zone;

Now, whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 6.37 hectares from survey No. 410, thereby making resultant area as 29.63 hectares.

[F. No. F.2/61/2006-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.